


12.12.23

पत्रावली पेश हुई। वकील गार्थी या गार्थी
विषय उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने
पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः गार्थी का यह
गार्थना का अदम्य पैरवी - अदम्य हाजिरी में इसी
स्तर पर खारिज किया जाता है। आवली बाद
तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।


(अमिता बिश्नोई)
RAS